

भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये
रु.10



TEN
RUPEES

Rs. 10



INDIA NON JUDICIAL

राजस्थान

RAJASTHAN

79AA 619146

जालौर-सिरौही लोकसभा
(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

लोकसभा

(राजन का नाम) के लिए निर्वाचन

के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र

भाग-क

म. हनुमानराम ^{**पुं/पुस्/पुत्नी} श्री भलाराम ^{वयु 51 वर्ष}
जन्म का मु० पो० भागल भीम, तस्वील भीममाल, जिला-जालौर
(डाक का पूरा पता लिखें) का/की निर्वासी हूँ, और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ, शपथ पर
निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ:-

(1) मैं बहुजन मुक्ति पार्टी ^{** राजनैतिक दल का नाम} द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी ^{** एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में खड़ा रहा हूँ।}

(** जो लागू न हो उसे काट दें)

(2) मेरा नाम जालौर-18 (राज) (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में नाम सं. 105
के क्रम सं. 277 पर प्रविष्ट है।

(3) मेरा संपर्क टेलीफोन नं. 9983876200 है और मेरा ई-मेल आईडी (यदि कोई हो तो) NA
है, और मेरा सोशल मीडिया एकाउंट (यदि कोई हो तो) NA है।

(4) मेराई लेखा संख्यांक (पैन) के ब्यारे और अग्र-वार विवरणी फाइल करने की प्रारिथिति:

क्रम सं.	नाम	पैन	पिछीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रुपय में)
1.	स्वयं हनुमानराम	APXPR 0131D	लागू नहीं	लागू नहीं
2.	भक्तिया पत्नी धारू देवी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
3.	आशित 1 सुरेश	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
4.	आशित 2 दीपक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
5.	आशित 3 <u>NA</u>	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(5) मैं ऐसे किसी अवित नामले में दो वर्ष या अधिक के कारावात से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ
जिसके संबंध अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरहित किया गया है/किए गए हैं।

एवं अभ्यर्थी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करना/करनी:-

Signature
Secretary, Jalore

Signature

Signature
Secretary, Jalore



लिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है/हैं जिनमें दो वर्षों के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित पुलिस धाना/जिला/राज्य के पूर्ण ब्यौरे	लागू नहीं
1) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है	लागू नहीं
2) न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	लागू नहीं
3) न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई	लागू नहीं
4) तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे	लागू नहीं
5) क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं	लागू नहीं

(ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है। पूर्वोक्त मद (i) में वर्णित मामलों से भिन्न] :-

(क) न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	लागू नहीं
(ख) उन मामलों के ब्यौरे जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है	लागू नहीं
(ग) पूर्वोक्त आदेश (आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील (अपीलों)/आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हों) के ब्यौरे	लागू नहीं

(6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न, के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/ नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है/नहीं दिया गया है:

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा: निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है:

(क) उन मामलों के ब्यौरे अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है	लागू नहीं
(ख) न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें)	लागू नहीं
(ग) अधिरोपित दंड	लागू नहीं
(घ) क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/है। यदि हां, तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्रस्थिति	लागू नहीं

उत्तर

 NOTARY, JAISALMER



(7) मैं मेरे, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों के ब्यौरे नीचे देता हूँ:
 अ. जंगम आस्तियों के ब्यौरे :

टिप्पण 1 - संयुक्त स्थापित की सीमा को उपदर्शित करते हुए प्रत्येक नाम में आश्रितों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2 - जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं., रकम, जमा की तारीख, मुद्रा, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने हैं।

टिप्पण 3 - सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4 - यहाँ आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 75क के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।

टिप्पण 5 - रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिए जाते हैं।

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3	
(i)	हाथ में नकदी	15,000/-	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	SBBBI अतिमाल A/c No 6120764299 Rs. 1668/- SBC Jalor A/c No 16722191 Rs. 5200/-	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(iii)	कंपनियों/पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिबेंचरों/शेयरों तथा यूनिटों में विनिधान के ब्यौरे और रकम	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्हीं वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्य तथा रकम	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
(vi)	मोटरयान/वायुयान/याट/पोल (मेक, रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएं) (भार और मूल्य के ब्यौरे)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दावों/हित का मूल्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
(ix)	समग्र कुल मूल्य	18,668/-	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	

Note:- विदेश में भी खारा नहीं है।

समस्त

ATTESTED
 NOTARY, JALORE
 26.5.14

यों के व्यौरे

1- संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त भूमि में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

2- प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथक्पृथक् वर्णन किया जाना चाहिए।

विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं)	2066-2068	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)	0.39 हेक्टेयर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	0.39 हेक्टेयर सरहद मौजा सांगरवादी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
"अनुमानित चालू बाजार मूल्य"	1,00,000/-	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
गैर कृषि भूमि : अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
"अनुमानित चालू बाजार मूल्य"	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(iii) वाणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)।	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

दृगनराम

ATTESTED

 NOTARY, JALORE
 26.3.14




	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से संपत्ति पर कोई विनिधान	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	"अनुमानित चालू बाजार मूल्य"	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(iv)	आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएं)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	"अनुमानित चालू बाजार मूल्य"	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(v)	अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(vi)	पूर्वोक्त (i) से (v) का कुल चालू बाजार मूल्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(8) मैं, लोक वितीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शोध्यों के ब्यारे नीचे देता हूँ:-

(टिप्पण: कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यष्टिक के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के ब्यारों का पृथक विवरण दें)।

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	बैंक/वितीय संस्था (संस्थाओं) को ऋण या शोध्य बैंक या वितीय संस्था का नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या शोध्य नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	कोई अन्य दायित्व	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	दायित्वों का कुल योग	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

रजताराध

ATTEST

 NOTARY, JALORE
 26.3.14



सरकारी शोध	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
सरकारी निवास से बरतने वाले विभाग को शोध	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
टेलीफोन/मोबाइल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलिकॉप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
आय-कर शोध	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
धनकर शोध	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
सेवाकर शोध	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
नगरपालिका/संपत्ति कर शोध	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
विक्रयकर शोध	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
कोई अन्य शोध	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(iii) सभी सरकारी शोधों का कुल योग	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(iv) क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हां तो अंतर्लित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष वह लंबित है का वर्णन करें।	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(9) वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे :

(क) स्वयं पेंशन

(ख) पति या पत्नी उपस्थित

(10) मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिए अनुसार है:-

वर्ष 1982 में सी. डी. प्रो. वि. अस्पताल रोड, भीममाल से VIIIth (आरबी) उत्तीर्ण

(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें)

भाग-ख


(11) भाग-क के (1) से (10) तक में दिए गए ब्यौरों का उद्धरण

1.	अभ्यर्थी का नाम	श्री/श्रीमती/कु <u>हनुमानराम</u>
2.	डाक का पूरा पता	<u>मुफ्फिआबाद तहसील, भीममाल</u>
3.	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	<u>18- जालोर (राजस्थान)</u>
4.	उस राजनैतिक दल का नाम, जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा 'स्वतंत्र' लिखें)	<u>वहुजन मुक्ति पार्टी</u>

हनुमानराम

ATTESTED

 NOTARY JAGDIP
 26.3.14



सत्यापन

ऊपर उल्लिखित अभिसाक्षी इसके द्वारा सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथपत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्त्विक तथ्य नहीं आया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि:

- (क) मेरे विरुद्ध ऊपर भाग में की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामले से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है;
- (ख) मेरे पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास ऊपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8, 9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

आज तारीख 26.03.2014 को सत्यापित किया गया।

IDENTIFIED BY
26/3/2014

ATTESTED
NOTARY, JALORE

सत्यनारायण
अभिसाक्षी

- टिप्पण : 1. शपथपत्र नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन को 3.00 अपराह्न तक फाइल किया जाना चाहिए।
- टिप्पण : 2. शपथपत्र पर किसी शपथ कमिश्नर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटेरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।
- टिप्पण : 3. सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़े, यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, यथास्थिति "शून्य" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।
- टिप्पण : 4. शपथपत्र टंकित या सुपाठ्यरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।

[फा. सं. एच.-11019 (6)/2012-वि. II]

डॉ. संजिव सिंह, अपर सचिव

टिप्पण : मूल नियम अधिसूचना संख्यांक का. आ. 859, तारीख 15 अप्रैल, 1961 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें अंतिम बार निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधन किया गया-

- (1) संख्यांक का. आ. 728 (अ), तारीख 8 मई, 2007 ।
- (2) संख्यांक का. आ. 425 (अ), तारीख 23 फरवरी, 2011 ।